**संख्या-14/2021/4809/41-2020-02(बजट)/2018**

प्रेषक,

एन0 जी0 रवि कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक, 06 जनवरी 2021

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित कराते हुये संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

---

महोदय,

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 द्वारा रू0 26,54,74,000.00 (रूपये छब्बीस करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-199/2019/2017/41-2019-02(बजट)/2018 दिनांक 19-7-2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-1100 लाख एवं शासनादेश सं0-239/2020/2834/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 22 अक्टूबर 2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0-398.21 लाख अवमुक्त किये गये । इसी मध्य महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपने पत्र दिनांक 7-8-2019 द्वारा प्रारम्भिक आगणन के भवन क्षेत्रफल 6091.70 वर्गमीटर में अभिवृद्धि होकर भवन क्षेत्रफल 7117.07 वर्गमीटर हो जाने के परिणामस्वरूप रू0-**3607**.38 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुये पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया **,** जिसके अनुक्रम में उक्त पुनरीक्षित आगणन का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति की बैठक दि0**-19-8-2020** में कराये जाने के क्रम में रू0-3607**.38** लाख के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष रू0-3261.15 लाख (जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित) आंकलित की गई और तत्क्रम में प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 द्वारा रू0 26,54,74,000.00 (रूपये छब्बीस करोड़ चौवन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति को संशोधित करते हुये परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख ( रूपये बत्तीस करोड इकसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) शासनादेश सं0- 255/2020/1712/41-2020-02(बजट) /2018 दिनांक 6-10-2020 द्वारा निर्गत की गई। तदनन्तर उसी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख ( रूपये बत्तीस करोड इकसठ लाख पन्द्रह हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0-288/ 2020 /4329/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 26-11-2020 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0-489.17 लाख एवं शासनादेश सं0-298/ 2020 /4569/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 15-12-2020 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0-489.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

2- उक्त पृष्ठभूमि में प्रायोजना के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा क्रम में निर्माणाधीन आवास गृह को विशिष्ट गढवाली स्वरूप दिये जाने का मत स्थिर किया गया एवं तत्क्रम में इस निर्माणाधीन प्रायोजना में कतिपय उच्च विशिष्टियों का समावेश कराते हुये कार्य कराये जाने हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आगणन रू0-3607.38 लाख का व्यय वित्त समिति की बैठक दि0-18-11-2020 में पुनर्मूल्यांकन कराया गया। व्यय वित्त समिति की बैठक दि0-18-11-2020 में निम्नांकित विवरणानुसार उच्च विशिष्टियों /लागत का समावेश करते हुये प्रायोजना की संशोधित पुनरीक्षित लागत रू0-3430.96 लाख इस शर्त सहित संस्तुत की गई कि पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश निर्गत करने से पूर्व तालिका के क्रमांक-1 से 5 पर अंकित उच्च विशिष्टियों के संबंध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा:-

| क्र0सं0 | विवरण | दि0-18-11-2020 की ई0एफ0सी0 में अनुमोदित उच्च विशिष्टियों की लागत (रूपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | स्टोन क्लैडिंग (2216.**61** व0मी0) | 111.37 |
| 2 | स्टोन जाली (479.763 व0मी0) | 46.76 |
| 3 | विट्रीफाइट टाइल्स (5166.35 व0मी0) | 99.36 |
| 4 | उच्च श्रेणी की सेरेमिक वाल टाइल्स (3665.77 व0मी0) | 43.35 |
| 5 | रूफ टाइल्स (1546.148 व0मी0) | 16.39 |
| 6 | इन्टीरियर वर्क( प्रथम तल से पंचम तल)- फाल्स सीलिंग (3749.32 व0मी0) | 81.04 |
| 7 | इन्टीरियर वर्क (बैंक्वेट हॉल)- फाल्स सीलिंग (757.31 व0मी0) एवं वाल पेनलिंग (928.87 व0मी0) | 36.63 |
| 8 | कारपेट फलोरिंग (590 व0मी0) | 13.18 |

3- अत: व्यय वित्त समिति की संस्तुति के क्रम में उक्त उच्च विशिष्टियों के संदर्भ में क्रमांक-1 से 5 पर अंकित कार्यमदों /लागत पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-255/2020/1712/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 6-10-2020 द्वारा निर्गत की गई प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3261.15 लाख को एतद्द्वारा संशोधित करते हुये प्रायोजना की संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-3430.96 लाख (रूपये चौतीस करोड तीस लाख छियानवे हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:'

(1) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-107/2018/1828/41-2018-02(बजट)/2018 दिनॉक 26 मई, 2018 एवं शासनादेश सं0- 255/2020/1712/41-2020-02(बजट) /2018 दिनांक 6-10-2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रायोजना हेतु 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है, अत: महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(5) प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्स्फार्मर ,डी0जी0सेट, लिफ्ट, सोलर वाटर हीटर,सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का प्राविधान किया गया है, अत: इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करेंगे । चूंकि प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य के शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशसन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(6) प्रायोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों,राजस्व अधिनियमों/नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(7) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है, अत: मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) प्रायोजना पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण करार्य कराया जायेगा।

(9) आगणन /प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्रा में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरात्रि (डुप्लीकेसी) को राकने की दृष्टि से महनिदेशक, पर्यटन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत् न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(12) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(14) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(16) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(17) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

भवदीय,

(एन0जी0 रवि कुमार)
सचिव।

**संख्या-14/2021/4809/41-2020-02(बजट)/2018 तद्दिनॉक:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनु सचिव

कृपया गत पृष्ठ-136 से 148 पर अंकित टीप/आदेश का अवलोकन करें।

2- इस पत्रावली में जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड के होटल अलकनंदा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना की संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। प्राप्त आदेशों के अनुसार इस परियोजना की संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में उच्च विशिष्टियों/ लागत पर मा0मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है तथा वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त की जा चुकी है। अत: संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का आलेख्य रखे जाने हेतु पार्श्वांकित आदेश के अनुरूप आलेख्य तैयार कर प्रस्तुत है।

कृपया आलेख्य पर प्रमुख सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुये विशेष सचिव के हस्ताक्षरार्थ पत्रावली प्रस्तुत करना चाहें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।